रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082023-248386
CG-DL-E-28082023-248386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3657] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2023/भाद्र 6, 1945
No. 3657] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2023/BHADRA 6, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2023

सं. 28/2023

विषयः—इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत पंजीकरण भुल्क में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3818(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 (समय–समय पर यथा संशोधित) के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I आयात नीति के अध्याय–72 की नीतिगत शर्त सं. 4(ग), अध्याय–73 की नीतिगत शर्त सं. 3(ग) और अध्याय 86 की नीतिगत शर्त सं. 3(ग) में तत्काल प्रभाव से सं"ोधन करती है।

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में आयातकों को मदों के आयात हेतु ऑनलाईन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करनी होगी और सीआईएफ मूल्य के न्यूनतम 500 रूपये और अधिकतम 1 लाख रुपये के अध्यधीन एक रुपया प्रति हजार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। आयातक आयात खेप के आने की अनुमानित तिथि से अधिकतम 60 दिन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।	इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में आयातकों को मदों के आयात हेतु ऑनलाईन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करनी होगी और **500/–रुपये** के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। आयातक आयात खेप के आने की अनुमानित तिथि से अधिकतम 60 दिन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।

2. अधिसूचना का प्रभाव: इस्पात आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण शुल्क तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/मोनि. –5852/एएम–03/पीसी–2(क)/पार्ट–1/ ई–18229]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2023

No. 28/2023

Subject: Amendment in Registration Fees under Steel Import Monitoring System (SIMS) reg.

S.O. 3818 (E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 (as amended from time to time), the Central Government hereby amends the Policy Condition No. 4(c) of Chapter 72, Policy Condition No. 3(c) of Chapter 73 and Policy Condition No. 3(c) of Chapter 86 of Schedule 1 - Import Policy - ITC(HS) 2022, with immediate effect**:**

Existing Policy Condition	**Revised Policy Condition**
The Steel Importing Monitoring System (SIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items and obtain an automatic Registration Number by paying registration fee of Rs. 1 per thousand subject to minimum of Rs. 500/ and maximum of Rs. 1 lakh on CIF value. The importer can apply for registration not earlier than 60th day before the expected date of arrival of import consignment. The automatic Registration Number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.	The Steel Importing Monitoring System (SIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items and obtain an automatic Registration Number by paying registration fee **of Rs.500 /-**. The importer can apply for registration not earlier than 60th day before the expected date of arrival of import consignment. The automatic Registration Number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.

2. Effect of the Notification: The registration Fee under Steel Importing Monitoring System (SIMS) has been revised with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Moni-5852/AM-03/PC-2[A]/Part-1/E-18229)

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.28 22:24:47 +05'30'